



SCMS
2020/00048
08/02/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी वनाम श्री... श्री. रवा रवा
हलका... भूका वडावाहि... पुत्र श्री का. सु. रवा... जाति मुसलमान
निवासी... भूका वडावाहि...

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 45/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत्... में मौजा... के खसरा नंबर... रकबा... किस्म भूमि... पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक... को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-1-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीगलीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु चौधपुर पधारे है पत्रावली दिनांक 18-1-2021 को पेश हो।	 श्री. रवा रवा
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब देते समय यादों की दिनांक पत्रावली दि. 27-01-2021 को पेश हो।	 श्री. रवा रवा

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

27-1-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की तरफ से उनके वकील ने उपस्थित होकर जवाब देना सम्भव चाहा कि डिमा जाकर पत्रावली दिनांक 10-02-2021 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

10-2-2021 पत्रावली पेश हुई। पितालीन साधेकारी भाऊ डुमरी पर छिपाना पद्यारे है। पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश हो।
10-2-2021

17-2-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देना अतिम अवसर डिमा जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-02-2021 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देना बार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि संगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए पत्रावली जैसल सुमार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली जैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर